



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263982
CG-DL-E-19062025-263982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947

कोयला मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 19 जून, 2025

फा. सं. ई-11016/1/2024 हिंदी.—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2), दिनांक 15 मार्च, 1986 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2), दिनांक 4.5.1989 के अनुसरण में तथा कोयला मंत्रालय के दिनांक 06 जनवरी, 2017 व 19 सितंबर, 2021 के संकल्प सं. ई 11016/1/2019-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति की संरचना, कार्य, कार्यकाल आदि निम्न प्रकार से होंगे :

1. संरचना

कोयला मंत्री		अध्यक्ष
कोयला राज्य मंत्री		उपाध्यक्ष
<u>गैर-सरकारी सदस्य</u>		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
1	श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य (लोक सभा), झारखण्ड	सदस्य
2	डॉ. रवीन्द्र नारायण बेहेरा, संसद सदस्य (लोक सभा), ओडिशा	सदस्य

3	श्री मिशन रंजन दास, संसद सदस्य (राज्य सभा), असम	सदस्य
4	श्री बंशीलाल गुर्जर, संसद सदस्य (राज्य सभा), मध्य प्रदेश	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
5	श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), ओडिशा	सदस्य
6	श्री सतीश कुमार गौतम, संसद सदस्य (लोक सभा), उत्तर प्रदेश	सदस्य
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित		
7	डॉ. हेमचंद्र वैद्य, प्रचारमंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पो.ऑ.हिन्दीनगर, वर्धा - 442003 चित्रकूट, राधा नगर, साबले प्लॉट, वर्धा-442001	सदस्य
हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद द्वारा नामित		
8	श्री श्रुतिकांत भारती, संयोजक, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, हिंदी भवन, एल.एन. गुप्त मार्ग, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद मकान नं. 3-4-383, कावेरी अपार्टमेंट्स, बसंत कॉलोनी हैदराबाद-500027	सदस्य
माननीय कोयला मंत्री द्वारा नामित		
9	डॉ. चिंगसुबाम चानू मालोबिका, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एपीआरओ, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज युनिवर्सिटी, हैदराबाद 12-142, शारदा निलयम, वॉटर टैंक के पास, शांति नगर कॉलोनी, बदंगपेट, बालापुर (एम), हैदराबाद, आर.आर. जिला-500058	सदस्य
10	डॉ. प्रकाश कोपार्डे, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय फ्लैट नं.301, साई करला रेजिडेंसी, नलगंडला, हैदराबाद- 500046	सदस्य
11	डॉ. जी. रविकुमार गौड़, भीमरा गांव, कांगटी मंडल, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना-502286	सदस्य
12	श्री भूपेंद्र नाथ तिवारी, वॉर्ड सं.-09, दमवालिया, पोस्ट ऑफिस-नरैपुर बगहा, पश्चिमी चंपारण, पिन-845105, बिहार	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित		
13	श्री.पी. श्यामराज, पुथेनवीतिल हाउस, मुलारिंगाडु, पोस्ट ऑफिस, थोडूपुझा, इदुक्की-685607	सदस्य
14	प्रोफेसर चन्द्रभूषण शर्मा, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068	सदस्य
15	डॉ. महेश कुमार पांडेय, 200, सुशील नगर, निकट डी.एम. बंगला, जालौन रोड, उरई, जनपद-जालौन, उत्तर प्रदेश-285001	सदस्य
सरकारी सदस्य		
16	सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
17	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
18	अपर सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
19	अपर सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
20	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
21	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
22	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य

23	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
24	अध्यक्ष, कोल इंडिया लि., कोलकाता (प.बंगाल)	सदस्य
25	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद (झारखंड)	सदस्य
26	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., रांची (झारखंड)	सदस्य
27	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्धवान (प.बंगाल)	सदस्य
28	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड्स लि., सम्बलपुर (ओडिशा)	सदस्य
29	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., सिंगरौली (मध्य प्रदेश)	सदस्य
30	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	सदस्य
31	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर (महाराष्ट्र)	सदस्य
32	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि., रांची (झारखंड)	सदस्य
33	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएलसी इंडिया लि., नेयवेली (तमिलनाडु)	सदस्य
34	कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का कार्यालय, दिल्ली	सदस्य
35	आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद (झारखंड)	सदस्य
36	संयुक्त सचिव, राजभाषा प्रभारी, कोयला मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, अधिनियमों व नियमों के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के अनुसार जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और कोयला मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/कंपनियों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

- इस समिति का कार्यकाल सामान्यतः इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा।
- जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे इस समिति के सदस्य बने हैं।
- यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा; और
- विशेष परिस्थितियों में कोयला मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम अथवा ज्यादा किया जा सकेगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

- (क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को इस समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप के दृष्टिगत राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ॥/20034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/ दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस ‘संकल्प’ की एक-एक प्रति सभी सदस्यों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रालय और इसके अधीन सभी कंपनियों/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लखपत सिंह चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**RESOLUTION**

New Delhi, the 19th June, 2025

F. No. E-11016/1/2024 Hindi.— In pursuance of OM No. II/20015/45/87-0L (A-2), dated 15th March, 1986 and OM No. II/20015/45/87-O.L. (A-2), dated 4.5.1989 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and in supersession of Ministry of Coal's Resolution No. E 11016/1/2019 Hindi dated 06th January, 2017 and 19th September, 2021, Ministry of Coal, Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti. The composition, functions, tenure etc. of this Samiti will be as under:

1. Composition

	Minister of Coal	Chairman
	Minister of State for Coal	Dy. Chairman
<u>Non official Member</u>		
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs		
1	Shri Vishnu Dayal Ram, M.P. (Lok Sabha), Jharkhand	Member
2	Dr. Rabindra Narayan Behera, M.P. (Lok Sabha), Odisha	Member
3	Shri Mission Ranjan Das, M.P. (Rajya Sabha), Assam	Member
4	Shri Banshilal Gurjar, M.P. (Rajya Sabha), Madhya Pradesh	Member
Nominated by Committee of Parliament on Official Language		
5	Shri Bhartruhari Mahtab, M.P. (Lok Sabha), Odisha	Member
6	Shri Satish Kumar Gautam, M.P. (Lok Sabha), Uttar Pradesh	Member

Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha		
7	Dr. Hemchandra Vaidya, Prachar Mantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti, P.O.Hindinagar, Wardha-442003 Chitrakoot, Radha Nagar, Sabale plot, Wardha-442001	Member
Nominated by Hindi Prachar Sabha, Hyderabad		
8	Shri Shrutikant Bharti, Convenor, Hindi Prachar Sabha, Hyderabad, Hindi Bhavan, L.N. Gupta Marg, Nampally Station Road, Hyderabad House no. 3-4-383, Kaveri Apartments, Basant Colony, Hyderabad-500027	Member
Nominated by Hon'ble Minister		
9	Dr. Chingsubam Chanu Malobika, Assistant Professor, Department of Hindi, APRO, The English and Foreign Languages University, Hyderabad 12-142, Sharadha Nilayam, Near Water Tank, Shanthi Nagar Colony, Badangpet, Balapur (M), Hyderabad, R.R. District-500058	Member
10	Dr. Prakash Koparde, Associate Professor, Department of Hindi, University of Hyderabad Flat No. 301, Sai Karla Residency, Nallgandala, Hyderabad-500046	Member
11	Dr. G.Ravikumar Goud, Village: Bheemra, Kangti Mandal, Sangareddy District, Telengana. Pin Code-502286	Member
12	Shri Bhupendra Nath Tiwari, Ward No-09, Dumwaliya, P.O-Naraipur Bagaha, West Champaran, Pin-845105, Bihar	Member
Nominated by Department of Official Language		
13	Shri P. Shyamaraj, Puthenveetil house, Mularingadu, Post Office: Thodupuzha, Idukki, Pin-685607	Member
14	Professor Chandrabhushan Sharma, Professor of Education, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110068	Member
15	Dr. Mahesh Kumar Pandey, 200, Sushil Nagar, Near D.M. Bangalow, Jalaun Road, Orai, Janpad- Jalaun (U.P) 285001	Member
Official Members		
16	Secretary, Ministry of Coal	Member
17	Secretary, Deptt. of Official Language	Member
18	Additional Secretary, Ministry of Coal	Member
19	Additional Secretary, Ministry of Coal	Member
20	Joint Secretary, Ministry of Coal	Member
21	Joint Secretary, Ministry of Coal	Member
22	Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Coal	Member
23	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
24	Chairman, Coal India Ltd., Kolkata (West Bengal)	Member
25	Chairman-cum-Managing Director, Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad (Jharkhand)	Member
26	Chairman-cum-Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi (Jharkhand)	Member
27	Chairman-cum-Managing Director, Eastern Coalfields Ltd., Burdwan (West Bengal)	Member
28	Chairman-cum-Managing Director, Mahanadi Coalfields Ltd., Sambalpur (Orissa)	Member
29	Chairman-cum-Managing Director, Northern Coalfields Ltd., Singrauli (Madhya Pradesh)	Member
30	Chairman-cum-Managing Director, South Eastern Coalfields Ltd., Bilaspur (Chhattisgarh)	Member
31	Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfields Ltd., Nagpur (Maharashtra)	Member
32	Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning & Design Institute Ltd., Ranchi (Jharkhand)	Member
33	Chairman-cum-Managing Director, NLC India Ltd., Neyveli (Tamilnadu)	Member
34	Coal Controller, Office of the Coal Controller, Delhi	Member
35	Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation, Dhanbad (Jharkhand)	Member
36	Joint Secretary, Incharge, Official Language, Ministry of Coal	Member-Secretary

2. Functions of the Samiti

The function of this Samiti will be to advise on the implementation of the Official Language provisions in the Constitution, provisions of Acts and Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the directives and instructions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as per the policies laid down regarding the use of Hindi in official work and to promote the progressive use of Hindi in the Ministry of Coal and its subordinate offices/autonomous bodies/companies.

3. Tenure

- (i) Term of the Samiti will be ordinarily for three years from the date of its constitution, provided.
- (ii) A member of Parliament nominated to the Samiti will cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be member of Parliament ;
- (iii) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which, they are members of this Samiti.
- (iv) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation from the membership of the Samiti by any member, the member so appointed against that vacancy, will hold office for the residual term of three years; and
- (v) In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or extended by Ministry of Coal.

4 GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also.

5 T.A. AND OTHER ALLOWANCES

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954” and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03 February, 2006 for participating in meetings of the Samiti.
- (b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti, will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/20034/04/86-OL(A-2) dated 22.1.1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members, all State Governments and Union Territory Administrations, President’s Secretariat, Vice-President’s Secretariat, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenue, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries/Departments of the Government of India and Ministry of Coal and all Companies/ Subordinate offices/ Undertakings / Autonomous Bodies under its control.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

LAKHPAT SINGH CHOUDHARY, Jt. Secy.